तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्रीमती लाड़ा देवी बनाम कमलेश कुमार** **अपील संख्याः–187 / 2018(जीसीएमएस नम्बर 2018 / 00217)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.12.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं अपीलार्थीया स्वयं उपस्थित जिसकी पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबात अपील विड्रो किये जाने प्रस्तुत कर कथन किया है कि पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईस एवं लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है एवं अपीलान्ट अब अपनी उक्त अपील को आगे नही चलाना चाहती है इसलिये न्यायहित में उक्त अपील को विड्रो किये जाने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अपील को विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण अपीलार्थीया स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहती तथा विड्रो करना चाह रही है तो ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	